Reservation documents

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

--00--

क्रमांकः एफ 6–48/2015/20–3

नया रायपुर, दिनांक 13.04.2018

//आदेश//

राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.ए. बी.एड. व बी.एस.सी. बी.एड. समेकित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है :–

1. **बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. समेकित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश –**

(क) **प्री. बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड.** – सामान्यतया इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.बी.ए.बी.एड. /बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से ही दिया जायेगा।

(ख) **मूल निवासी** – राज्य के शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(ग) **आयु सीमा** – किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री. बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा के वर्ष की 1 जुलाई को अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रिमीलेयर को छोड़कर) एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में छूट छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(घ) बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. में प्रवेश के लिए सामान्यतः तीन चरण आबंटन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

इसके बाद भी यदि सीटें रिक्त रहती है तो आवश्यकतानुसार चौथा एवं पांचवा चरण का आबंटन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा परन्तु 30 सितम्बर के बाद कोई प्रवेश प्रक्रिया आयोजित नहीं किया जायेगा।

नोट – (i) "अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" से तात्पर्य है, ऐसा महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन के किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल–अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा।

(ii) गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय से अभिप्रेत है कि ऐसे महाविद्यालय जो राज्य के सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करते हों।

निरंतर...2...

SANDIPANI ACADEMY DISTT.-DURG (C.G.)

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

2. प्री.बी.एस.सी.बी.एड./बी.ए.बी.एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं –

बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. समेकित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होंगी –

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) शैक्षणिक अर्हता –

पाठ्यक्रम	बी.ए. बी.एड.	बी.एस.सी. बी.एड.
शैक्षणिक योग्यता/पात्रता	उच्चतर माध्यमिक/+2 या इसके समकक्ष परीक्षा में किसी भी संकाय में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होवें।	उच्चतर माध्यमिक/+2 या इसके समकक्ष परीक्षा में गणित/विज्ञान संकाय में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होवे।

नोट : छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए NCTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत छूट की व्यवस्था होगी। वर्तमान मे NCTE द्वारा न्यूनतम मापदंड 50 प्रतिशत निर्धारित है।

3. बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण –

बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होगीं, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी–वर्टिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत। SC

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत। ST

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत । इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/ पौत्री/नाती/नतनीन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत । इस संवर्ग मे आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निरंतर...3...

SANDIPANI ACADEMY DIST. DURG (C.G.)

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

6. ऑनलाइन आबंटन–

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आवंटन विधि से किया जावेगा।

(ख) पात्र अभ्यर्थी 350/– रूपये का भुगतान परिषद के अकाउंट में ऑनलाइन जमा करके ऑनलाइन विकल्प फार्म आबंटन प्रक्रिया के लिये निर्धारित वेबसाइट में जाकर भर सकते है।

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के तीन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।

(ङ.) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आबंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा।

(च) सीट आवंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस वेबसाइट में जाकर अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। सीट्स आवंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

(छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आवंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आवंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त करके नया विकल्प फार्म निर्धारित वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन भर कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आबंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आंबटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा।पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।

(ज) महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जॉचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आवंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

7. आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –

आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गो के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

8. आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –

किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा–

(क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ग) अनुसूचित जाति श्रेणी अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनो के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

निरंतर...5...

SANDIPANI ACADEMY DIST. DURG

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

प्री.बी.एड.प्रवेश नियम

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय,दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

//अधिसूचना//

क्रमांक 5–5–20/2006 – राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार–इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम 2006 होगा। यह संम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले मंहाविद्यालयों पर लागू होंगे। यह तत्काल प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएँ इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेरित न हो –

(क) **"राज्य शासन"** से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन।

(ख) **"श्रेणी"** से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।

(ग) **"संवर्ग"** से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक।

(घ) **"प्री बी.एड. परीक्षा"** से तात्पर्य है, बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा।

(ङ.) **"संचालक"** से तात्पर्य है, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्।

(च) **"अनुदान प्राप्त महाविद्यालय"** से तात्पर्य है, ऐसा महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन के किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल–अंचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा।

[1](छ) गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय से अभिप्रेत है कि ऐसे महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित करते हों।

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं. 18–44/20/2007 दिनांक 29 मार्च 2007 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

(स्नातक प्राप्तांक निर्धारित अंक से कम होने पर) के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, प्री.बी.एड.परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जायेगा। परंतु उन्हें ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय ऐसा प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्री.बी.एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची में होने पर भी उन्हें बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5. **बी.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण** – बी.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होगीं, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी–वर्टिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत।

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत।

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत । इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत । इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

[1](ग) "उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों" एवं 'गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों' में लागू नहीं होंगे।"

Scanned with OKEN Scanner

[1] 8. ऑनलाइन आबंटन–

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आबंटन विधि से किया जावेगा।

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों तथा 350/– रू. (अक्षरी– तीन सौ पचास रूपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे। इन केन्द्रों में अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी।

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।

(ड.) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आबंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री.बी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा।

(च) सीट आबंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेवसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी। सीट्स आबंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

(छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आबंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आबंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आबंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आंबटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा।पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।

(ज) महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आबंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

9. **आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश** – आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5–5/2006/20–एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रति स्थापित।

SANDIPANI ACADEMY 5 DISTT.-DURG (C.G.) ACHHOTI (MURMUNDA)

Scanned with OKEN Scanner

Merit_ORG_Course_Code	District_Name	ORG_Name	Course_Type_Name	Course_Name	ORG_Code	Total_No_Of_Seats	UR	UR_F	UR_DA	UR_FF	UR_EX	OBC	OBC_F	OBC_DA	OBC_FF	OBC_EX	SC	SC_F	SC_DA	SC_FF	SC_EX	ST	ST_F	ST_DA	ST_FF	ST_EX	OS
114326	Durg	M. J. COLLEGE	B.Ed.	B.Ed.	114326	200	68	0	0	0	0	22	0	0	0	0	18	0	0	0	0	52	0	0	0	0	40
114327	Durg	JAI ADGURU SHANKARACHARYA COLLEGE OF EDUCATION	B.Ed.	B.Ed.	114327	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114328	Durg	BHILAI MAHILA MAHAVIDYALAYA	B.Ed.	B.Ed.	114328	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114329	Durg	Sandipani Academy,achhoti,durg	B.Ed.	B.Ed.	114329	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114330	Durg	Shaildevi Mahavidyalaya	B.Ed.	B.Ed.	114330	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114331	Durg	DAV Modal College	B.Ed.	B.Ed.	114331	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114332	Durg	Bhilai School of Education and Research	B.Ed.	B.Ed.	114332	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114334	Durg	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Professional Studies, Kumhari	B.Ed.	B.Ed.	114334	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114335	Bemetara	SAMADHAN COLLEGE	B.Ed.	B.Ed.	114335	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114336	Durg	B.M. College	B.Ed.	B.Ed.	114336	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114337	Raipur	KD Rungta College of Science & Technology, Raipur	B.Ed.	B.Ed.	114337	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114338	Durg	PRISM SCHOOL OF EDUCATION,VILLAGE-MAHKAKHURD,DURG	B.Ed.	B.Ed.	114338	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114339	Durg	SHRI SAI COLLEGE DEURJHAL NANDINI ROAD DURG	B.Ed.	B.Ed.	114339	50	16	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	10
114340	Durg	Vidyapeeth College, Durg(C.G.)	B.Ed.	B.Ed.	114340	50	16	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	10
114341	Durg	Chhattisgarh college of Education,Dhanora,Durg	B.Ed.	B.Ed.	114341	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114342	Durg	ICFAI UNIVERSITY	B.Ed.	B.Ed.	114342	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114401	Durg	Chhattisgarh Vanijya and Vigyan Mahavidyalaya, Bhilai	B.Ed.	B.Ed.	114401	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
114402	Durg	St. THOMAS COLLEGE	B.Ed.	B.Ed.	114402	50	16	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	10
115301	Janjgir-Champa	Jagrani Devi college of education, baradwar	B.Ed.	B.Ed.	115301	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115302	Janjgir-Champa	Utkarsh College of Education Sarkhon Janjgir C.G.	B.Ed.	B.Ed.	115302	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115303	Janjgir-Champa	Pt. Harishankar College of Education Naila Road Sarkhon JANJGIR C.G.	B.Ed.	B.Ed.	115303	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115304	Janjgir-Champa	Rahod Education Society	B.Ed.	B.Ed.	115304	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115305	Janjgir-Champa	Konark College of Education	B.Ed.	B.Ed.	115305	50	16	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	10
115306	Janjgir-Champa	Lal Bahdur Shastri Siksha College	B.Ed.	B.Ed.	115306	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115307	Janjgir-Champa	Gyandeep College of Education Janjgir	B.Ed.	B.Ed.	115307	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115308	Janjgir-Champa	Gyanoday College of Education, Janjgir	B.Ed.	B.Ed.	115308	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115309	Janjgir-Champa	Shri Mahantlaldas Siksha Mahavidyalaya ,Sheorinarayan	B.Ed.	B.Ed.	115309	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	10	0	0	0	0	25	0	0	0	0	20
115310	Janjgir-Champa	Keshari Sikshan Samiti,Khokhara Jangir	B.Ed.	B.Ed.	115310	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115311	Janjgir-Champa	Gyan Rushani Lok Klayan Sanstha Khokhara Janjgir C.G.	B.Ed.	B.Ed.	115311	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115312	Janjgir-Champa	Shyam Siksha Mahavidyalaya	B.Ed.	B.Ed.	115312	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115313	Janjgir-Champa	Sandipani Siksha Mahavidyalaya, Rahod	B.Ed.	B.Ed.	115313	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115315	Janjgir-Champa	MAA EDUCATION COLLEGE	B.Ed.	B.Ed.	115315	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115316	Janjgir-Champa	Radha Krishna Shiksha Samiti	B.Ed.	B.Ed.	115316	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115317	Janjgir-Champa	Chaitanya College, Pamgarh	B.Ed.	B.Ed.	115317	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115318	Janjgir-Champa	Shivshakti Institute B.ed Education, Khorsi Sheorinarayan	B.Ed.	B.Ed.	115318	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
115319	Janjgir-Champa	S.D. College Meu Nawagarh	B.Ed.	B.Ed.	115319	50	16	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	10
115320	Janjgir-Champa	Jagrani Devi College of Education, Darrabhata	B.Ed.	B.Ed.	115320	50	16	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	10
116301	Korba	Shri Agrasen Girls College	B.Ed.	B.Ed.	116301	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
116303	Korba	Kamla Nehru College Korba	B.Ed.	B.Ed.	116303	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
116304	Korba	HASDEV EDUCATION MAHAVIDYALAYA, KORBA	B.Ed.	B.Ed.	116304	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
117301	Koriya	Margdarshan Sansthan Siksha Mahavidyalaya	B.Ed.	B.Ed.	117301	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
117302	Koriya	Dr R.N.S. Siksha Mahavidyalaya, Manendragarh	B.Ed.	B.Ed.	117302	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20
117303	Koriya	K.B.Patel College,Sarbhoka,Chirmiri	B.Ed.	B.Ed.	117303	100	34	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	20

Merit_ORG_Course_Code	District_Name	ORG_Name	Course_Type_Name	Course_Name	ORG_Code	Total_No_Of_Seats	UR	UR_F	UR_DA	UR_FF	UR_EX	OBC	OBC_F	OBC_DA	OBC_FF	OBC_EX	SC	SC_F	SC_DA	SC_FF	SC_EX	ST	ST_F	ST_DA	ST_FF	ST_EX	OS
310301	Surajpur	UMA VINDYAVASNI SANSKAR MAHAVIDYALAYA, Surajpur B.A COURSE	B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed.	B.A. B.Ed.	310301	50	16	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	10
311201	Durg	Sandipani Academy, Achhoti (For B.Sc. Course)	B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed.	B.Sc. B.Ed.	311201	50	16	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	10
311202	Durg	Shalidevi Mahavidyala,Anda,DURG, B.Sc course	B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed.	B.Sc. B.Ed.	311202	50	16	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	10
311301	Durg	Sandipani Academy, Achhoti (For B.A. Course)	B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed.	B.A. B.Ed.	311301	50	16	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	10